न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी:– अर्पिता सोनी, आर.ए.एस.

प्र.सं.– 68/2019
सी.सी.एम.एस. : 2019/00301

1. सुखविन्द कौर पत्नी वकील सिंह जाति जटसिख निवासी 15 टीके तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर

–प्रार्थी

बनाम

1. किशन लाल पुत्र जालू राम जाति मेघवाल निवासी 10 टीके तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
2. नारायण राम पुत्र जेठा राम जाति मेघवाल निवासी 24 पीएस तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

–अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थिति:–

1. श्री सुखदेव सिंह दुटटर, वकील प्रार्थी
2. श्री सुशील कुमार गोदारा, वकील अप्रार्थी सं. 1

–: <u>निर्णय</u> :–

दिनांक : 23.02.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी कृषि भूमि 21 पीएस तहसील रायसिंहनगर के खाता सं. 116/110 में दर्ज अनुसार मुरब्बा नं. 17 की 0.931है. नहरी खातेदारी भूमि में पंहुचने के प्रयोजन के लिए अप्रार्थी सं. 1 की भूमि चक 21 पीएस के खाता सं. 26/23 मु.नं. 17 के कि.नं. 11/2 व अप्रार्थी सं. 2 की भूमि चक 21 पीएस के खाता सं. 59/23 में दर्ज मु.नं. 17 के कि.नं. 11/1 की भूमि में 8.25 फुट चौडाई का मुख्य सड़क 20 पीएस से 10 टीके तक कि.नं. 10 से चिपता हुआ(पूर्व–पश्चिम) रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट मंगवाई गयी। अप्रार्थी सं. 2 के विरूद्ध बाद नोटिस तामील हाजिर नहीं आने के कारण दिनांक 05.11.2019 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। अप्रार्थी सं. 1 ने जरिए अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया के परिवार के सदस्य मु.नं. 13 व 14 में से हाकर अपनी भूमि में प्रवेश कर रहे है तथा चालू रास्ता हैं। जो उनके परिवार की भूमि हैं जिस रास्ता की मांग प्रार्थीया ने की है वह रास्ता न होकर खाला की भूमि है। कि.नं. 11/1–20/1–21/1–22/1–23/1–24/1–25/1 में 0.701है. बारानी भूमि हैं तथा उक्त खाला से मु.नं. 40 जो कि बलवीर सिंह व बलविन्द्र सिंह पुत्र जीत सिंह अपनी भूमि से सिंचाई करते हैं। सभी काश्तकारों को पार्टी नहीं बनाया हैं। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र रंजिशवश पेश किया गया हैं। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

रिपोर्ट तहसीलदार क्रमांक/राजस्व/2021/26 दिनांक 08.01.2021 प्राप्त हुई। मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु कोई स्वीकृत रास्ता दर्ज रिकार्ड नहीं हैं। प्रार्थीया की मांग अनुसार चक 21 पीएस के प.नं. 184/286 मु.नं. 17 के कि.नं. 11/1 में 0.009है.(कि.नं. 10 से चिपता हुआ) रास्ता ... क्योंकि यही निकटतम रास्ता बनता हैं। प्रकरण में स्वयं द्वारा मौका निरीक्षण किया ... ।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थी ... कथन किया कि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आवागमन के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं हैं। प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा जिस भूमि पर से रास्ता की मांग की जा रही हैं। वह खाला की भूमि है जिससे इस चक के अन्य काश्तकारान अपनी भूमि सिंचित करते हैं। प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने हेतु निवेदन किया।

अर्पिता
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.05.17 12:28:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीया को अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं हैं। अतः प्रार्थीया की रास्ते की आवश्यक्ता अत्यांतिक आवश्यक्ता की श्रेणी में आती हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर तहसीलदार रायसिंहनगर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार चक 21 पीएस के प.नं. 184/286 मु.नं. 17 के कि.नं. 11/1 में 0.009है. (कि.नं. 10 से चिपता हुआ) गै.मु.रास्ता स्वीकृत किया जाता हैं। प्रार्थीया अप्रार्थीगण को रास्ता में आई भूमि के बदले मुआवजा के तौर रास्ता में आई भूमि की डीएलसी दर की दो गुणा राशी अदा करेगी। तहसीलदार रायसिंहनगर प्रार्थीया से मुआवजा राशी जमा कर नियमानुसार अप्रार्थीगण को उनके हिस्सा अनुसार भुगतान करें तथा स्वीकृतशुदा गै.मु. रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अर्पिता

(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी राजस्व
रायसिंहनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.05.17 12:28:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner